

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:- 408690 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 28/01/19
ग्रा०वि०-3/स्था०-1-47/18

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के आधार पर गृह विभाग (कारा), बिहार सरकार के अधीन बिहार प्रोबेशन सेवा के लिए प्राप्त अनुशंसा के आलोक में गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 253 दिनांक 21.12.2018 द्वारा श्री मारकण्डेय राय का पुनरीक्षित वेतन स्तर- 9 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की गयी है।

उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप श्री मारकण्डेय राय, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरलाखी (मधुबनी) द्वारा परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर योगदान करने हेतु विरमित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री मारकण्डेय राय से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए श्री मारकण्डेय राय (अनुक्रमांक-137140), ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरलाखी (मधुबनी) को परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर योगदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ विरमित किया जाता है :-

- ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में बितायी गयी अवधि कर्तव्य अवधि का वेतनादि का भुगतान देय होगा।
- बिहार सेवा संहिता के नियम-157 के तहत श्री मारकण्डेय राय घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।
- श्री मारकण्डेय राय का विद्यमान पद-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहणाधिकार (Lien) नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधम किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 408690

दिनांक:- 28/01/19

ग्रा०वि०-3/स्था०-1-50/18

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 408690 दिनांक:- 28/01/19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (कारा) बिहार, पटना को उनके अधिसूचना, संख्या 253 दिनांक 21.12.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

जापांक:- 408690 दिनांक:- 28/01/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 408690 दिनांक:- 28/01/19

प्रतिलिपि:- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा /जिला पदाधिकारी, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी/ कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 408690 दिनांक:- 28/01/19

प्रतिलिपि:- श्री मारकण्डेय राय, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरलाखी (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, मधुबनी को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

जापांक:- 408690 दिनांक:- 28/01/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी- 14/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव